राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(240)वित्त–1(1)आ.व्यय/2014/ जयपुर, दिनांक : 1/11/2016

संबधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या –516/2015–16)

विषय :– "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के लिए निर्बंध राशि में से वर्ष 2015–16 के लिए इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पी.डी. खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार लेख है कि "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के लिए निर्बंध कोष योजना में से अतिरिक्त आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक एफ 4 ( )परावि/पीसी/निरायो/बजट/2015–16/315 दिनांक 29.12.2015 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 32/2015–16) में अंकित शर्तो अनुसार इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पी.डी. खाते में कुल राशि रू. 15.00 लाख (अक्षरे राशि रू. पन्द्रह लाख मात्र) निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दिया जावे:–

मांग सं. 41
बजट मद : 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(15)–पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष
[02]–कार्यकलाप/गतिविधियां
12–सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना — राशि रू. 15.00 लाख मात्र

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना मद दर्शाते हुए अंकित किया जावें।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चो के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, जयपुर।
5. महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ 4( ) परावि/पीसी/निरायो/बजट/2015–16/315 जयपुर, दिनांक : 29/12/15

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 32/2015–16)

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के लिए निर्बंध राशि में से वर्ष 2015–16 में राशि रू. 1500000/– (अक्षरे राशि रू. पन्द्रह लाख मात्र) राज्य स्तरीय गतिविधियों हेतु इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग *"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान"* हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 21(07)निजभूस/मुमजस्वाअ/2015/198–630 दिनांक 30.10.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं निर्बंध योजना अन्तर्गत आवंटित राशि के उपयोग हेतु विभागीय आदेश कमांक एफ 21(08) निजभूस/मुमजस्वाअ/2015/2015–2428 दिनांक 03.12.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार किया जायेगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम की पालना सुनिश्चित की जावे। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :–

भांग सं. 41

बजट मद : 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(15)–पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष
[02]–कार्यकलाप/गतिविधियां
12–सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना

(राशि लाखों में)

15.00

(अक्षरे राशि रू. पन्द्रह लाख मात्र)

उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अवशेष राशि का विवरण भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 331500882 दिनांक 23.12.2015 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(आर.एस. मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, महा निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार राशि रू. 15.00 लाख इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी कराने का श्रम करावें।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
8. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
10. अतिरिक्त निदेशक(आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन) जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
11. प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार